संख्या-145/2021/1377/30-3-21-64एम/2012

प्रेषिक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषय : रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-807स0सु0/2021-57टीआर/2009, दिनांक 20-05-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु सिविल कांस्ट्रक्शन कार्य के लिये चतुर्थ किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा के चालू खाता संख्या-98270200000001 में दिनांक 30-03-2021 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 358.20 लाख (तीन करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र) संबंधित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 पूर्ववर्ती नाम-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में सिविल कांस्ट्रक्शन कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा के चालू खाता संख्या-98270200000001 में दिनांक 30-03-2021 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 358.20 लाख (तीन करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र) संबंधित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 पूर्ववर्ती नाम-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को भुगतान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-1472/30-3-14-64एम/2012, दिनांक 09-06-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत संस्थान की स्थापना हेतु गठित सोसायटी के अनुमोदनोपरान्त धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिवहन आयुक्त तथा टाटा मोटर्स के अधिकारी समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सोसायटी से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत मद के लेखाशीर्षक-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0ई-9-903/दस-2021, दिनांक 10 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-145/2021/1377(1)/30-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, टीसी/V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।